Seventeenth Loksabha

>

Title: The Chair made references to the passing away of Shri Mohanbhai Patel,Member of the Seventh and Eighth Lok Sabhas; and Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Member of the Thirteenth, Fifteenth and Sixteenth Lok Sabhas.

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दु:ख के साथ हमारे दो पूर्व साथियों श्री मोहनभाई पटेल और श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है ।

श्री मोहनभाई पटेल 7वीं और 8वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने गुजरात के जूनागढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया ।

श्री पटेल सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य थे । श्री मोहनभाई पटेल का निधन 5 मार्च, 2021 को जूनागढ़ में 88 वर्ष की आयु में हुआ ।

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी 13वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया ।

श्री गांधी, भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय में वर्ष 2003 से 2004 तक केन्द्रीय राज्य मंत्री थे ।

एक योग्य सांसद श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति थे और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य थे ।

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी का निधन 69 वर्ष की आयु में 17 मार्च, 2021 को गुरुग्राम में हुआ ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है ।

अब सभा सभी दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी रहेगी ।

-

-

11.03 hrs

The Members then stood in silence for a short while.

... (Interruptions)

-

श्री राकेश सिंह(जबलपुर): माननीय सभापति महोदय, महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ही विकट है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विषय को सदन में उठाने की अनुमति दें ।

कुछ सदस्यों ने इस पर नोटिस दिया है ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: यह 12 बजे के बाद लेंगे ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: हम इसे ज़ीरो ऑवर में ले लेंगे । आप लोग बैठिए ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, हम सभी को जैसा कि पता है कि हमारे सम्माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं । हम सबकी यह प्रार्थना है कि वह बहुत शीघ्र ही पूरी तरह से स्वस्थ हों और हमारे बीच आकर सदन का नेतृत्व करें ।

…(व्यवधान)

11.04 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय सभापति: प्रश्नकाल । क्वेश्चन नम्बर 361.

…(व्यवधान)

(Q. 361)

श्री भगवंत खुबा: माननीय सभापति जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी के कोविड पॉजिटिव होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में प्रश्न पूछने जा रहा हूँ ।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि श्री ओम बिरला जी जल्दी स्वस्थ होकर इस सदन का नेतृत्व करें ।

आज विश्व जल दिवस है । जल के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने बहुत ही सकारात्मक कार्य किए हैं, इस कारण विश्व जल दिवस के निमित्त मैं सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ ।

खासकरके आज मैं बिहार वासियों को भी बिहार दिवस के निमित्त शुभकामनाएँ देता हूँ ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्नों के जवाब काफी विस्तार से दिए हैं । मेरे मूल प्रश्न से थोड़ा हटकर उनके पास जो आंकड़े थे, उन आंकड़ों को लेकर उन्होंने जवाब दिया है, फिर भी मैं दुख के साथ मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनके जवाब में इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के कौशल के लिए आरक्षण रहना था, लेकिन उनके पास उसकी कोई सुविधा नहीं है और न ही इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के लिए कोई आधार बनाया है । मैं माननीय मंत्री जी विनती करता हूं कि उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें ।

महोदय एक बात और है, मैं उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री कौशल योजना में आप कई राज्यों के लिए टारगेट फिक्स्ड करते हैं, लेकिन वे उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं । उसका मूल कारण उनकी उदासीनता है और विशेषकर कोविड महामारी के संदर्भ में पिछले एक साल में जो हुआ है, आज युवाओं को कौशल ट्रेनिंग देकर, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देकर, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत सरकार की भी है और समाज की भी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के लिए कोविड महामारी के बाद आपने ज्यादा से ज्यादा क्या ध्यान और जोर दिया है?

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: माननीय सदस्य खुबा जी और माननीय सभापति जी की लोक सभा अध्यक्ष जी के लिए शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना से अपने को जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनके प्रश्नों में बल है । मैं आपके माध्यम से उनको और पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि हमारी जो यह प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना है और उसके जितने उपक्रम और प्रयत्न हैं, वे बेसिकली एससी/एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर,

जो लोग ड्रॉप-आउट्स हैं, जो कमजोर तबके के हैं और हमारा पूरा जो कौशल का तंत्र है, चाहे पीएमकेवाई योजना हो, चाहे आईटीआई सेट-अप हो, चाहे जन शिक्षण संस्थान हों, ये ज्यादातर इन्हीं सैक्शंस पर फोकस करते हैं ।

मैं आपके माध्यम से सदन और माननीय सदस्य के संज्ञान में यह तथ्य भी लाना चाहूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी माननीय मोदी सरकार ने एक बड़ी क्रांतिकारी पहल की है कि 6वीं से वोकेशनल एजुकेशन पर बल दिया है । हमारा विभाग अब उस पर भी विशेष ध्यान दे रहा है । ये वही लोग होते हैं, जो किन्हीं कारणों से अपनी पारिवारिक घरेलू परिस्थितियों के चलते स्कूल छोड़ देते हैं । उनमें वीकर सैक्शन, एससी/एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग का भी जो वीकर सैक्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, हम इन पर फोकस कर रहे हैं तथा सारी कार्य योजनाएं उन्हीं के हिसाब से बना रहे हैं । कोविड में जो 5-6 जॉब रोल्स ज्यादा आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे रिटेल आउट में असिस्टेंट के रूप में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में मेशन के रूप में, ग्रीन जॉब रोल में सफाई कर्मचारी के रूप में हैं । इस तरह के जो जॉब रोल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हमने पीएमकेवाई-3 15 जनवरी को लॉन्च किया है, उस योजना में इन पर बल दे रहे हैं और आगे भी माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करते हुए, इन चीजों को एड्रेस किया जाएगा, फोकस किया जाएगा ।

श्री भगवंत खुबा: सभापति महोदय, अभी जितने स्किल सेंटर्स इन्होंने खोल रखे हैं, वे दूर-दूर इलाकों में हैं । माननीय मंत्री जी से मेरी विनती है कि अगर हर जिले के अंदर सभी स्किल्स कैटेगरीज के लिए वहां पर सेंटर्स खोले जाएंगे तो जो स्थानीय निरउद्योगी युवा है, उसको वहां पर सुविधा हो जाएगी । मैं यही माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं ।

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे डिपार्टमेंट और हमारी टीम ने माननीय मोदी जी की अगुवाई में इसका गम्भीरता से अध्ययन किया है । हम लोगों ने पहले यह देखा कि हमारा यह जो स्किलिंग ईको सिस्टम

बना है, अब तक का जो सफर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में तय किया है और वर्ष 2014 के बाद वर्ष 2015-16 में इसको लॉन्च किया गया, लेकिन यह पहले कुछ डिपार्टमेंट्स का पार्ट था, लेकिन अब इसको स्किल मिनिस्ट्री बनाकर बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है । इसमें यह पाया गया कि हम आपूर्ति करते थे, हमने दिल्ली या मेट्रोपोलिटन सिटीज में बेस बनाया और जो हमारे 37 स्किल काउंसिल सेंटर्स हैं, उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं । वे जॉब रोल डिजाइन करते थे और हम नीचे भेजते थे । माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, उस चिंता को ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी पर इस बार ज्यादा बल दिया है ।

मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि माननीय सांसदगण की अध्यक्षता में होने वाली 'दिशा' कमेटी में भी इस विषय को उठाया गया है, उसमें भी इस पर समीक्षा होगी और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटियां, स्किल गैप की स्टडी करेंगी और ऊपर के इको-सिस्टम को लिंकअप करके, जिन क्षेत्रों में कमियां और असंतुलन है, वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ।

मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने कोरोना पीरियड के बारे में अभी जो कहा है, तो हमने अपने 200 करोड़ रुपये के बजट में से बचत करके, कोरोना पीरियड में माइग्रेंट प्रभावित जो 6 राज्य थे, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि उनमें हमने अलग से इन लोगों को जॉब रोल्स में चिह्नित किया । हमने 117 जिलों में अलग से स्किल डेवलेमेंट कोर्सेज़ चलाए, जिससे माइग्रेंट्स को बहुत सपोर्ट मिला । मैं इस अवसर का उपयोग करके बताना चाहूंगा कि जो माइग्रेंट्स बैक हो गए तथा वीकर सेक्शन के लिए हम लोगों ने वहां के डीएम को कॉरेस्पांडेंस किया और कहा कि आप इन्हें भी ट्रेनिंग देकर, स्किल्ड कीजिए, ताकि वे भी रोजगार के अवसर पा सकें । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप माननीय मंत्री जी से बाद में मिल लीजिएगा ।

श्री सुनील कुमार सिंह: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान में देश में 248 जन शिक्षण संस्थान सक्रिय हैं । माननीय राज्य मंत्री जी ने लोक सभा में 1 जुलाई, 2019 को एक प्रश्न के जवाब में यह बताया था कि 83 नए जन शिक्षण संस्थान मौजूदा वित्त वर्ष 2020 में स्थापित करने की प्रक्रिया में थे । अभी मार्च 2021 समाप्त हो रहा है, 83 नए जेएसएस, जिसमें मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा, लातेहार और पलामू सहित पूरे झारखंड में 14 जेएसएस खोलने थे, वे कब तक खोले जाएंगे?

इसके साथ ही कौशल भारत मिशन के तहत प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 2020-21 के घटक 100 टन ट्रेनिंग में 2,20,000 तथा रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आरपीएल में 5,80,000 यानी कुल 8,00,000 कैंडिडेट्स को प्रशिक्षण देना था । इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: मैं माननीय सांसद जी के प्रश्न के माध्यम से उन्हें और सदन को बताना चाहूंगा कि मैं पहले जेएसएस के बारे में थोड़ा ब्रीफ करूंगा और माननीय सांसदगण से निवेदन भी करना चाहूंगा । जेएसएस, वर्ष 1967 में श्रमिक विद्यापीठ के रूप में शुरू हुई थी । माननीय अटल जी की सरकार ने वर्ष 2000 में इसे विशेष महत्व दिया और इसे जन शिक्षण संस्थान और खासकर श्रम एरिया, गरीब और वीकर एरियाज़, महिलाओं आदि इन सब पर फोकस करने के लिए इसकी संख्या बढ़ाई गई । माननीय मोदी जी की सरकार का विशेष अभिनंदन है, क्योंकि इस दृष्टि से इसे बहुत आगे ले जाकर 248 तक पहुंचाया और 83 नए जेएसएस खोलने का निर्णय लिया गया । इससे जो क्षेत्र छूट जा रहे हैं, जैसे फैक्ट्रियों में काम करने वाले, जो पढ़ नहीं पाते हैं, बस्तियों में रहने वाले इत्यादि को भी जोड़ा जा सके । माननीय सदस्य ने जिन 83 जेएसएस की चर्चा की है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उनके गृह राज्य झारखंड में इस समय 3 जेएसएस कार्यरत हैं और 14 नए खुलने वाले हैं । मैं आपको यह अवगत कराना चाहूंगा कि यह माननीय सदस्य के क्षेत्र चतरा में भी है । मैं यह अपेक्षा करता हूं

कि कुछ ही दिनों की प्रगति में उन जेएसएस की स्वीकृतियां प्रॉसेस में जारी होने वाली हैं ।

मैं माननीय सदन को इस प्रश्न के माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि कोविड पीरियड में मैंने जेएसएस की उपयोगिता देखी है और जेएसएस ने बहुत सेवा की है । हमारा मंत्रालय माननीय मोदी जी की अगुवाई में गंभीरता से विचार कर रहा है कि देश में इसका और विस्तार किया जाए । मैं माननीय सदन का ध्यान चाहूंगा कि माननीय सदस्य इन तबकों पर भी अपना ध्यान फोकस करें, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं ।

DR. G. RANJITH REDDY: Thank you very much Sir.

Skill development is definitely the need of the hour. It is because we have so many unemployed graduates in the country. Along with that, we have employment opportunities also. The only connecting link is the skill. So, the way other countries have legal backing like Germany and Korea, why do we not have a legal backing for skill development in this country? Once it is legalized, we can definitely have skill education as Right to Skill Training, the way we have, at present, Right to Education.

The skill development centres are put up in Mumbai, Ahmedabad and Kanpur. So, we request you to please open these centres in South India especially in Hyderabad.

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, उसमें दक्षिण में भी कई जगहों पर स्किल से जुड़ी संस्थाओं पर फोकस किया गया है । राज्यों को इसके बारे में आग्रह किया गया है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट एक प्रोत्साहन प्रोग्राम है । जो लोग विभिन्न अवसरों से वंचित हैं, उनको इनपुट और ट्रेनिंग देकर रोजगार और उद्यम के लायक बनाने हेतु यह कार्यक्रम है ।

इसके लिए अनेक राज्यों ने आग्रह किया है कि उनके यहां भी स्किल के इन्स्टिट्यूशंस बनाए जाएं । हम इस पर विचार कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि दक्षिण में हमारा जो ईकोसिस्टम है, जैसे हम जेएसएस को विस्तार देना चाह रहे हैं । अभी आईटीआई सेटअप ग्रेडिंग में हम लोगों ने पाया है कि हमारे द्वारा स्किलिंग के एक सेटअप आईटीआई में दक्षिण के कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं । हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं । अगर दक्षिण के राज्य सरकारें इस विषय पर आगे आएंगी, तो हमारा मंत्रालय इसे गंभीरता से लेगा और उस पर विचार करेगा ।

माननीय सभापति : प्रश्न संख्या **362**

(Q. 362)

श्री उपेन्द्र सिंह रावत : माननीय सभापति महोदय, लोक सभा अध्यक्ष जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की प्राचीन स्मारकों, प्राचीन किलों और प्राचीन धरोहरों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए, विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अलग-अलग नए सर्किल बनाने के लिए क्या कोई नई गाइडलाइन बनाई गई है? इस नई गाइडलाइन में नई सर्किल योजना के अंतर्गत कौन-कौन की नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उनका वास्तविक स्वरूप भी बचा रहे और पर्यटन की दृष्टि से उनकी सुरक्षा, सौंदर्यता में अत्यधिक विकास हो?

सभापति महोदय, जनपद बाराबंकी में कुछ प्राचीन धरोहरों, किलों और स्मारकों का समुचित रख-रखाव किया जा रहा है । मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय संस्कृति मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं । इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाराबंकी में अभी भी महाभारतकालीन कई प्राचीन धरोहरें हैं । इन धरोहरों को भी केन्द्र सरकार

को अपने संरक्षण में लेकर उन्हें बचाने की आवश्यकता है । जैसे पारिजात वृक्ष, जो महाभारतकालीन है, उसका ब्यास आज की तारीख में 45 फीट चौड़ा है । लोधेश्वर महादेवा मंदिर भी महाभारतकालीन धरोहर है, जिसका संरक्षण अभी राज्य सरकार के अधीन है ।

महोदय, लखनऊ में बिजली पासी का किला आज जीर्णशीर्ण अवस्था में है । इस किले का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है । केन्द्र सरकार इसको भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से संरक्षित कर के इस किले के पर्यटकों के लिए विकास करने की कृपा करे । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप अपना प्रश्न पूछिए ।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री उपेन्द्र सिंह रावत: माननीय सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन पर्यटक स्थलों के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: सभापति जी, आपका धन्यवाद । माननीय सदस्य ने दो-तीन बातें की हैं, जो प्रश्न से जुड़ी नहीं हैं, लेकिन मैं उन दो-तीन बातों के बारे में आपके माध्यम से सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं ।

स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण एक सामान्य प्रकिया है, जिसे एएसआई करती है । माननीय सदस्य ने दो-तीन बातों के बारे में अपने प्रश्न में कहा है । कुछ राज्य सरकार के स्मारक हैं, जिन्हें माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनको भारत सरकार, एएसआई अपने संरक्षण में ले ले । एएसआई ने एक अभियान शुरू किया है, जो कि स्मारकों को री-लिस्ट करने का अभियान है । हमारे पास जो पंजीकृत स्मारक हैं, उनकी संख्या लगभग पौने चार हजार है ।

हम भी मानते हैं कि देश में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, जो हजारों वर्ष पुराने हैं, पौराणिक काल के हैं, जिनका भारत सरकार की सूचना में स्थान नहीं है ।

इसलिए, एएसआई ने यह तय किया है । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को पहली बात यह बताना चाहता हूं । दूसरा, माननीय सदस्य ने सर्किल की बात की है । इस विषय का उनके प्रश्न से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में दो नए सर्किलों का निर्माण हुआ है – एक बुंदेलखंड, झांसी में हुआ है, जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान है और दूसरा स्थान मेरठ है । पहले मेरठ और झांसी के लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था ।

पहले मेरठ के लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था और झांसी के लोगों को भी लखनऊ जाना पड़ता है । तीसरा, उन्होंने जो कहा है कि बहुत से ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थान हैं, उनकी भारत सरकार पूरी तरह से चिंता करती है । अगर राज्य सरकार का स्मारक है तो हमें राज्य सरकार की सहमति चाहिए । अभी हमारा जो अभियान चल रहा है, उसमें हमारा यह मानना है कि भारत सरकार की केंद्रीय सूची में सारे स्मारक हों । जो राज्य सरकारें अपने पास रखना चाहती हैं, वह हमारी ही लिस्ट की 'बी' सूची में होगा । उस पर हमारा एक्ट लागू नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार की सूची में वह होगा । भारत सरकार की यह तैयारी है ।

श्री उपेन्द्र सिंह रावत: सभापति महोदय, कोविड काल में तमाम पर्यटक स्थलों में टिकट की पहले जो व्यवस्था थी, उसकी जगह टिकट प्राप्त करने की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई, जिसमें पर्यटक अपने मोबाइल से ऑनलाइन टिकट बनाएगा, फिर अंदर जाएगा । मैंने दो पर्यटक स्थल 'कुतुब मीनार' और 'हुमायूं का मकबरा' में खुद देखा है कि केवल 25 फीसदी पर्यटक ऐसे हैं, जो अपने मोबाइल से ई-टिकट बना पाते हैं । 75 परसेंट पर्यटक ई-टिकट नहीं बना पाते हैं । वे इधर-उधर भटका करते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि कुछ लोग इसका अनैतिक लाभ उठाकर उनको अंदर प्रवेश कराते हैं । मैंने यह स्वयं अपनी आंखों से देखा हैं । मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई व्यवस्था बनाई गई है, जिससे पर्यटकों का टिकट भी बन जाए और जो राजस्व की हानि हो रही है और वह न होने पाए ।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : सभापति महोदय, मैं इस प्रश्न के लिए माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं । प्रारंभ में ही यह समस्या जानकारी में आई थी । उसी समय दोनों विकल्प दे दिए गए थे । माननीय प्रधान मंत्री जी का यह मानना है कि हम सारी चीजों को ऑनलाइन कर दें । विदेशी पर्यटकों को इस सुविधा से लाभ होता है, लेकिन माननीय सदस्य की बात से मैं सहमत हूं । यह बात मेरे संज्ञान में आई थी और तत्काल यह निर्देश दे दिया गया था कि जो टिकटिंग मान्युमेंट्स हैं, जहां पर ऑनलाइन टिकट का प्रबंध है, वहां पर अब फिजिकली भी टिकट देने का काम करें । उसके बाद भी अगर कोई शिकायत मिलती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी ।

माननीय सभापति: श्री रमेश बिधूड़ी जी - उपस्थित नहीं ।

श्री मनीष तिवारी जी ।

SHRI MANISH TEWARI: Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity. The Archaeological Survey of India protects 3686 monuments across the country. The ASI's Budget has been slashed by Rs. 204.70 crore in the current fiscal. In 2020-21 it was Rs. 1246.70 crore; in 2021-22 it has come down to 1042.63 crore.

In the year 2016 -17, the Archaeological Survey of India spent Rs. 305 crore on building their headquarters in Delhi, while in 2017-18, they spent 206.55 crore on monument preservation.

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि न तो एएसआई के पास वह कैपेसिटी है, न मंशा है, न बैंडविड्थ है कि भारत की प्राचीन संस्कृति की वह रक्षा कर सके । मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि भारत की संस्कृति बहुत फैली हुई है । ऐसे बहुत सारे मान्युमेंट्स हैं, जिनको संभालने की जरूरत है । आप हर संसदीय क्षेत्र में सांसदों के नेतृत्व में एक समिति क्यों नहीं गठित करते, जिसका यह उत्तरदायित्व हो कि उस संसदीय

क्षेत्र या जिले में लोकल रिसोर्सेज रेज करके एक न एक मान्युमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए । इस तरह से अगले तीन वर्षों में शायद 543 जिलों में आपको 543 ऐसे मान्युमेंट्स मिल जाएंगे, जो पर्यटन का एक बहुत बड़ा साधन बनेंगे । उनकी प्रिजर्वेशन होगी, क्योंकि आपके संस्थान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से तो यह काम होने वाला नहीं है ।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सांसद हैं । मुझे लगता है कि वह अपना दर्द बहुत देरी से बता रहे हैं । एएसआई ऐसी संस्था है, जिसकी हमारे देश में और हमारे देश के बाहर अपनी प्रतिष्ठा है । मुझ इनके कथन पर आपत्ति है । काम करने के तरीके पर बातचीत हो सकती है । बजट पर्याप्त मात्रा में है और उसको हमने उपयोग किया है । हमारे बजट में कभी कमी नहीं हुई । वह खुद भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं । दूसरी बात यह है कि एएसआई को पर्यटन मंत्रालय अपने मदों से भी पैसा देता है । हम जो स्कीम लेकर आए हैं, उसमें 'अपनी धरोहर अपनी पहचान' योजना बाकायदा पिछले चार वर्षों से चल रही है । यद्यपि यह बात सीधे इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जिले के स्तर पर किसी भी राज्य की पुरातत्व समिति में सांसद होता ही है । उनके राज्य में शायद उनको नहीं बुलाया जाता होगा, या फिर उनको जानकारी नहीं होगी, यह अलग बात है । हमें समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है । मैं मध्य प्रदेश से आता हूं । वहां पर जिले के स्तर पर पुरातत्व की समिति होती है । उसमें सांसद अनिवार्य रूप से सदस्य होते हैं । अगर एएसआई का कोई मान्युमेंट है या कोई पुरातात्विक स्थान है, तो उसकी जानकारी आप 'दिशा' की बैठक में भी ले सकते हैं । मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी जगह है, जहां से आप जानकारियां प्राप्त नहीं कर सकते ।

माननीय सभापति : श्री निहाल चन्द चौहान ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, केवल दो प्रश्न हुए हैं । कृपया कार्यवाही होने दीजिए । प्रश्न संख्या 363

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : अगला प्रश्न बोला जा चुका है ।

…(व्यवधान)

(Q. 363)

श्री निहाल चन्द चौहान: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मेरे लोक सभा क्षेत्र- गंगानगर में है । आज डीजल का भाव 93.43 पैसे और पेट्रोल का भाव 101 रुपये है । गंगानगर में डीजल और पेट्रोल, राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में डीजल और पेट्रोल से भी ढाई रुपये ज्यादा महंगा है । मेरा क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से जुड़ा हुआ है । पंजाब और हरियाणा में मेरे संसदीय क्षेत्र से 10 रुपये सस्ता डीजल और पेट्रोल है । मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि क्या केंद्र सरकार इस फ्यूल पर केवल किसानों के लिए सब्सिडी देने का विचार रखती है? इसके साथ-साथ क्या फ्यूल को जीएसटी में शामिल करने के बारे में केंद्र सरकार विचार कर रही है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Sir, Sri Ganganagar receives the fuel through pipelines from Jaipur and Jodhpur. The costs there being different is something which has been worked out through a proper mechanism.

The question was about, how depots have been closed for various reasons and Sri Ganganagar depot had been closed even in 2010-11. So, as a related question, if he is going to ask about pricing because they are far-flung and closer to Punjab, Sir, it is a totally different issue.

श्री निहाल चन्द चौहान : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दिया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के किसानों व अन्य उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यहां राजस्थान और जयपुर से ढाई रुपये और पंजाब व हरियाणा से 10 रुपये महंगा पेट्रोल और डीजल है । मेरा यह प्रश्न है कि हनुमानगढ़ में जो एचपीसीएल का डिपो था, वह 2010-11 में बंद कर दिया गया । वहां से बठिंडा मात्र 80 किलोमीटर दूर है । क्या गंगानगर और हनुमानगढ़ को आप बठिंडा के डिपो से जोड़ने का विचार कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब में एक्साइज ड्यूटी 16 प्रतिशत है और राजस्थान में एक्साइज ड्यूटी 26 प्रतिशत है । इसकी वजह से तेल और महंगा है । मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ को क्या आप पंजाब से जोड़ने का विचार रखते हैं या फिर हनुमानगढ़ में जो डिपो था, उसको वापस चालू कराने का विचार रखते हैं? वह डिपो हनुमानगढ़ शहर से बाहर है । आपने प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि कई तकनीकी कारणों से डिपो को बंद किया गया, परन्तु डिपो तो शहर से बाहर है । डिपो को पुन: चालू करने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, two-three things will have to be clarified to the hon. Member. Even if the connection is going to come from somewhere else, as long as the town or city is within a particular State, the State's relevant taxation will be applied to them. They may be closer to a different State. If logistically it is convenient, they may get a connection from Punjab which the Department will see whether it is feasible. But even if it is brought from there, the State's applicable rates will be applicable.

So, just because the neighbouring State has a better or a different rate of tax, we cannot have that applied even if the connection on logistics for the pipe and other things happen from there. That is one thing I want to clarify to the hon. Member.

Secondly, about the Sriganganagar and Hanumangarh Depots being closed, I would like to inform that they were closed because of several safety-related issues. Before the closure, mitigating steps have been taken or not, that has been considered. Even after considering, it could not be kept open and that is as far back as 2010-11. So, reconsideration, at the moment, to open Sriganganagar or Hanumangarh Depot is not on.

SHRI BRIJENDRA SINGH: Mr. Chairman, Sir, Ambala Oil Terminal has been shut down for all practical purposes; only the Aviation Turbine Fuel Terminal is functional now and all the business has been shifted to Una, Jalandhar and Sangrur. Ambala is a very strategically and conveniently located station. It catered to civilian and Armed Forces requirements and importantly it is a pipeline terminal, not fed by rail or road. Due to the closure of this terminal, livelihood of thousands of persons has been affected who have been dependent on this terminal. Is the Government planning to reconsider shutting down of this very important terminal?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, there is nothing before us.

(Q. 364)

SHRI PRAJWAL REVANNA: Hon. Chairman, Sir, I would like to thank the Minister for the reply to my question.

Sir, we know that Karnataka symbolises the concept of 'Unity in Diversity'. It is endowed with pristine, unparalleled scenic beauty and Karnataka has something to offer to everyone. From the largest monolithic structure of Lord Gomateshwara to world-famous Hampi, Belur, Halebeedu and not to forget the intricate workmanship of Gol Gumbaz. I have two questions. I will just ask one supplementary question. Even though we have a lot of iconic places and heritage sites, why is the identification very minimal? So, I would like to ask the Minister who identifies the sites, and what is the criteria for selection of these places.

Sir, as we all know, tourism is one of the sectors which generates huge employment opportunities to local skilled and unskilled people. Why are we ignoring Karnataka when we know the potential?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उसके संबंध में मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो 19 आइकोनिक साइट्स हैं, उसमें हम्पी को स्थान मिला है । कर्नाटक की ऐतिहासिकता, उसके पुरातत्व के बारे में देश को गर्व है । इसमें कोई संदेह होने का सवाल नहीं पैदा होता है । जो चीजें हमारे मित्र के प्रश्न में पूछी गई हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार की जो प्रसाद योजना एवं स्वदेश दर्शन स्कीम्स हैं, वर्ष 2016-17 में वहाँ पैसा दिया गया था, लेकिन दो वर्षों में पैसा खर्च नहीं किया गया और वह पैसा ब्याज सहित राज्य सरकार ने वापस किया है ।

मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देता हूँ, क्योंकि वे पूरक प्रश्न पूछेंगे, चार योजनाएं हैं, जो पहले से भारत सरकार के पास हैं और इस बीच में हमने दी हैं । जिन-जिन के बारे में राज्य सरकार ने जानकारी नहीं दी है, अभी

जरूर कांसेप्ट नोट दिया गया है । आध्यात्मिक जो परिपत्र है, उसमें जैन स्पिरिचुअल मंदारागिरी, कम्मानाहल्ली और श्रवणबेलगोला, यह प्रस्ताव आया था । इको पर्यटन का है, विरासत का है, चन्नागिरी तालुका में पर्यटन सर्किट का है । ऐसे प्रस्ताव राज्य सरकार ने बाद में दिए थे, जो अभी वापस किए गए हैं, क्योंकि स्वदेश दर्शन की समीक्षा हुई है ।

यह मैं सदन के सदस्यों को भी कहना चाहता हूँ । मैं दो ही उदाहरण दूँगा, एक तो कर्नाटक है, जो मैंने बोल दिया है । दूसरा, केरल में हमने सबरीमाला में वर्ष 2015-16 में 100 करोड़ रुपये के आसपास, 99 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा दिया था, लेकिन उन्होंने भी पैसा वापस करने का तीन साल बाद तय किया । उसमें से तीन प्रतिशत पैसा भी खर्च नहीं हुआ । भारत सरकार जब पैसा देती है तो वह कनेक्टिविटी के लिए देती है । मुझे लगता है कि पर्यटन मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो स्टेक होल्डर्स का है ।

सब को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा । जब ऐसी कठिनाइयां आती हैं, तब उसकी समीक्षा हुई है । वैसे सरकार ने स्वदेश दर्शन का बजट दिया है और हम जो भी प्रोजेक्ट बुलायेंगे, उसको तेजी के साथ पूरा करेंगे । लेकिन भारत सरकार की नीति बड़ी साफ है, जब आप एक प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, तो दूसरे दिन हम दूसरा प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हैं । अगर कम्पलीशन नहीं होगा, तो यह गतिरोध बना रहेगा ।

SHRI PRAJWAL REVANNA: Sir, I want to know about the funds. The Minister was talking about the funds.

माननीय सभापति: आप चाहें तो अपना मास्क हटा कर बैठ कर बोल सकते हैं ।

SHRI PRAJWAL REVANNA: As per the latest records, a reply for Unstarred Question was given on 8th March, 2021 and it shows that

from 2014, Karnataka has not been funded even Re.1. When it comes to tourism, they are selecting only Hampi. But the other sites have not been identified at all. Except Hampi, other sites have never been identified even though we have so many other heritage sites like Halebeedu, Belur and Lord Gomateshwara statue, which is the tallest idol in the whole of the country. We also have Gol Gumbaz and so many other heritage places.

What I am asking here is that even in the latest reply for which I have got an answer, they say that they have given funds for exhibitions and fairs. Other than that, they have never given any kind of funds for renovation or promotion or branding of any tourism heritage sites.

So, why is Karnataka being ignored in the quantum of funds when it is compared with funds to other States?

Sir, I also want to say one thing that when we are talking about tourism, we can also improvise and promote tourism.

HON. CHAIRPERSON: Please ask your Supplementary.

SHRI PRAJWAL REVANNA: It can also benefit rural economy and also enhance economy of the whole country. My supplementary is that when it comes to quantum of funds, why is Karnataka being neglected?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : सभापति जी, मैं पढ़ कर सुना देता हूं कि वर्ष 2016-17 में 95.67 करोड़ रुपये दिए गए थे और अगस्त, 2016 में कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम को पहली किस्त के रूप में 19.13 करोड़ रुपये जारी किए गए थे । लेकिन उसके बाद में कोई प्रगति नहीं होने के बाद कर्नाटक सरकार ने ब्याज सहित यह पैसा वापस किया है । इसलिए यह मत कहिए कि पैसा नहीं दिया गया, पैसा दिया गया है ।

उन्होंने जो दूसरी बात कही है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले प्रश्न में भी कहा है कि हम बाकायदा रियलस्टिक के काम में लगे हुए हैं । हम्पी हमारा महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है और हम्पी के अलावा जो स्थान आपने बताये हैं, वे एएसआई के मॉन्यूमेंट्स भी हैं । मुझे लगता है कि कर्नाटक के बहुत सारे माननीय सांसदों ने लगातार पत्र दिए हैं और मैंने जिन योजनाओं का नाम लिया है, अब राज्य सरकार भेजेगी । पहले कैसे काम हुआ है, मैं किसी पर आक्षेप करना नहीं चाहता, लेकिन बानगी मैंने आपको बताई है ।

माननीय सभापति : डॉ. उमेश जी. जाधव । यह प्रश्न कर्नाटक स्पेसिफिक है ।

DR. UMESH G. JADAV : Sir, the Northern Karnataka is the most neglected place for tourism. A proposal was sent in 2016 regarding Gulbarga heritage development. कर्नाटक से डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल आया था । उस पर क्या एक्शन हुआ? मुझे पता नहीं है । हैदराबाद का बॉर्डर जो पंचारम प्लेस है, बहुत बड़ा Ethipothala falls है, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वहां पर ध्यान दिया जाए । वहां उसमें कुछ फंड लगा कर डेवलपमेंट के लिए, मदद करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : सभापति जी, उन्होंने मांग की है और मैंने पहले ही कहा कि जो विरासत सर्किट है, उसमें विदर्भ, गुलबर्गा और यादगीर पर्यटन सर्किट के विकास के लिए वर्ष 2017 में हमारे पास आया था । यह स्कीम लगभग 88.67 करोड़ रुपये की थी । अभी हमने सारे प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे हैं । इस बार आबंटन के साथ, समीक्षा के बाद जब शुरू होंगे तो प्राथमिकता के साथ उन प्रस्तावों को बुलायेंगे ।

डॉ. उमेश जी. जाधव: उसमें बहुत हार्ड कंडीशन्स हैं ।

माननीय सभापति : बाद में बात करेंगे ।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : मुझे लगता है कि शर्तें तो…(व्यवधान)

माननीय सभापति : क्वेश्चन नम्बर 365.

(Q. 365)

माननीय सभापति: श्री राहुल शेवाले जी, प्रथम पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री राहुल रमेश शेवाले: सभापति महोदय, सीएसआर फंड खर्च करने के लिए कंपनियां धर्मार्थ ट्रस्टों का उपयोग करती हैं । बहुत सारी कंपनियों के जो डायरेक्टर होते हैं, वे ही मेंबर होते हैं, वे खुद के ट्रस्ट बनाते हैं, खुद के परिवार के ट्रस्ट बनाते हैं, धर्मार्थ ट्रस्ट बनाते हैं । उस ट्रस्ट के माध्यम से सीएसआर का फंड यूटिलाइज करते हैं । दान किया गया धन वापस कंपनी को दिया जाता है और पैसा वैध बैंकिंग चैनलों के माध्यम से इन ट्रस्टों में प्रवाहित होता है । लेकिन अंतत: कंपनी को नगद या और किसी रूप से वापस कर दिया जाता है । यह सीएसआर निधियों को समाप्त करने का सबसे आसान और पसंदीदा मार्ग है, क्योंकि इस पर सरकार द्वारा बहुत सावधानी से निगरानी नहीं की जाती है और इसमें केंद्रीयक्रत चेक का अभाव ही, जो ऐसे ट्रस्टों की गतिविधियों की निगरानी कर सकता है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि कोई भी कंपनी इस तरह के चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2014 की अनुसूची-7 में उल्लिखित परियोजनाओं पर सीएसआर फंड खर्च करने की अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती हैं और उन्हें किस तरह सीएसआर फंड का समुचित उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा सकता है?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सभापति महोदय, सीएसआर के विषय को ले कर बार-बार इस सदन में कई बार चर्चा होती है और माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न उठाया है, मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पर ले जाना चाहूंगा । यह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ड्रिवन प्रोसेस है । इसमें कानून के अंतर्गत, 135 के अंतर्गत साफ तौर पर कहा गया है कि कौन-कौन इसको खर्च कर सकता है । बोर्ड की एक इम्पिलिमेंटिंग एजेंसी अपनी भी हो सकती है, कंपनी की या कोई बाहर का सैक्शन-8 कंपनी हो, रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, एनजीओ हो, वह सब इसकी डीटेल्ड सूची दे रखी है । पचास प्रतिशत पैसा जो है, वह सीधा आउटसाइड इम्पिलिमेंटिंग एजेंसीज़ के माध्यम से खर्च किया गया है । लगभग 6-8 प्रतिशत वह है, जो इन कंपनीज़ की ही आगे इम्पिलिमेंटिंग ऐजेंसीज है और लगभग 38 प्रतिशत वह है, जो कंपनीज़ ने स्वयं अपनी एक कमिटी बना कर खर्च किया है । अगर आप कुल मिला कर देखेंगे तो जो खर्चा 2014-15 में हुआ, क्योंकि सन् 2013 में यह कानून बना, सन् 2014-15 में कुल मिला कर जो खर्च हुआ, वह लगभग 16,548 से बढ़ कर 24,932 कंपनीज़ हो गई यानि कंपनीज़ की संख्या में भी 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

माननीय सभापति जी, जो खर्चा हुआ है, वह सन् 2014-15 में 10,065 करोड़ रुपये हुआ, जो बढ़ कर 18,655 करोड़ रुपये हुआ । यहां पर शुरू में इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, अगर आप पैसा खर्च नहीं करते हो । लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठी हैं । सन् 2019 में हमने इसको कंपाउंडेबल ऑफेंस किया, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी हो । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनीज़ पैसा खर्च न करें । उनकी जवाबदेही हमने और तय की है । अगर वे पैसा खर्च नहीं करती हैं तो उसके लिए भी प्रावधान बनाया गया है कि किस खाते में उनको अनस्पेंड पैसा डालना है । उसकी भी पूरी जानकारी ली जाती है । एक-एक रुपये के लिए उनको अकाउंटेबल किया जाता है । अगर कोई स्पेसिफिक केस माननीय सांसद महोदय के ध्यान में है तो मैं चाहूंगा कि वे उसकी जानकारी दें, ताकि हम उस पर भी उचित कार्यवाही कर सकें ।

श्री राहुल रमेश शेवाले: सभापति महोदय, मेरा सैकेंड सप्लिमेंट्री क्वेश्चन यह है कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि सीएसआर का फंड 50 पर्सेंट बाहर की संस्था से और 38 पर्सेंट उनकी कंपनी की कमिटी के माध्यम से यूटिलाइज होता है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र में रिफाइनरीज़ हैं, इंडियन ऑयल हैं, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ओएनजीसी है, आरसीफ का भी प्लांट है, न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन का भी प्लांट वहां पर है । इन सभी कंपनियों को जब हम सीएसआर फंड के लिए एप्रोच करते हैं, तो सभी का रिप्लाई यही आता है कि हमारा सीएसआर फंड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को दिया गया है, आपको सीएसआर फंड नहीं मिलेगा । तो अभी मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में बताया कि 50 पर्सेंट बाहर की संस्था के माध्यम से यूटिलाइज होता है और 38 पर्सेंट उनकी कंपनी की जो डायरेक्टर बॉडी है, वह यूटिलाइज करने का निर्णय लेती है, लेकिन हर बार हमें यही रिप्लाई मिलता है । इसके पहले भी, पांच साल पहले जब इन सभी कंपनियों को हमने एप्रोच किया तब भी उन्होंने कहा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टेचू बनाया जा रहा है, वहां पर हमारा सीएसआर फंड यूटिलाइज हुआ है । अभी उनका रिप्लाई आता है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को हमारा सीएसआर फंड यूटिलाइज हो रहा है । कंपनी के नियम के अनुसार जहां पर भी प्लांट है, रिफाइनरी है, वहां के दो किलोमीटर के दायरे में, सीएसआर फंड यूटिलाइज करने का नियम है और प्रॉफिट में से जो 2 पर्सेंट होता है, वह सीएसआर फंड के लिए यूटिलाइज होना चाहिए । यह मेरे संसदीय क्षेत्र के ऊपर अन्याय है । जितनी भी रिफाइनरी कंपनीज हैं, जितने भी प्लांट्स मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं, क्या मंत्री जी उनको निर्देश देंगे कि उनका सीएसआर फंड मेरे संसदीय क्षेत्र में यूटिलाइज हो?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय सभापति जी, पूरे देश के सांसदों की तरफ से यह बात बार-बार उठाई जाती है कि अधिकतर पैसे कुछ ही राज्यों में खर्च होते हैं । वैसे तो ये कम्पनीज़ पर निर्भर करता है कि उनका कहां कार्य क्षेत्र है, पर मैं

माननीय सांसद जी को कहना चाहूंगा कि अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा ये पैसे खर्च किए गए हैं तो वे महाराष्ट्र में खर्च किए गए, जहां से माननीय सांसद आते हैं । कुल मिलाकर 79,292 करोड़ रुपये खर्च हुए । इसमें से 12,700 करोड़ रुपये केवल महाराष्ट्र में खर्च हुए । उसके बाद अगर दूसरा सबसे ज्यादा खर्च कहीं हुआ है तो वह 3,926 करोड़ रुपये गुजरात में खर्च हुए हैं । इसमें से आंध्र प्रदेश में 3,542 करोड़ रुपये खर्च हुए, तमिलनाडु में 3,415 करोड़ रुपये और ओडिशा में 2563 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठिए । आप वह बाद में मालूम कर लीजिएगा । अभी उत्तर होने दीजिए । अभी बैठिए ।

...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय सभापति जी, महाराष्ट्र के बहुत सारे सांसद कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वसूली चल रही है । लेकिन, अगर कोई कहे कि पश्चिम बंगाल में 'कट मनी' चल रहा है और महाराष्ट्र में वसूली चल रही है तो वह मेरे इस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है ।...(व्यवधान) माननीय सांसद कुछ भी कहने के लिए फ्री हैं ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, आप केवल उत्तर दें ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: केवल माननीय मंत्री जी का उत्तर रिकॉर्ड में जा रहा है । कृपया सभी लोग बैठ जाएं ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, आप अपना उत्तर पूरा कीजिए ।

...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय सभापति जी, मैं देख रहा हूं कि केवल महाराष्ट्र के सांसद ही नहीं, बल्कि देश भर के माननीय सांसद इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो महाराष्ट्र में आरोप लगे हैं, वे बहुत गम्भीर हैं ।...(व्यवधान) इनका दर्द मैं समझ सकता हूं । ये उसे ज़ीरो आवर में उठाएंगे और महाराष्ट्र सरकार उस पर उचित कार्रवाई करेगी और यह होना चाहिए क्योंकि यह कोई छोटा-मोटा आरोप नहीं है ।...(व्यवधान) 100 करोड़ रुपये महीने की वसूली की बात एक बहुत बड़े आरोप की बात है । यह एक चिंता का विषय है, लेकिन इस प्रश्न से उसका लेना-देना नहीं है ।...(व्यवधान) जहां तक सी.एस.आर. के अमाउन्ट की बात कही गई, यह हो सकता है कि वह आपके संसदीय क्षेत्र में न हो रही हो, जिसकी बात कही गई ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मंत्री जी, आप चेयर की तरफ देख कर उत्तर दें ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय सभापति जी, जैसा कि मैंने कहा, हमने 12,700 करोड़ रुपये केवल और केवल महाराष्ट्र राज्य में खर्च किये हैं तो मैं माननीय सांसद को कहना चाहता हूं कि अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं तो वे माननीय सांसद जी के राज्य महाराष्ट्र में खर्च हुए हैं ।

माननीय सभापति: श्री हेमन्त पाटिल - उपस्थित नहीं ।

श्री रवनीत सिंह: चेयरमैन साहब, पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे स्पीकर साहब जल्दी से जल्दी ठीक हों, हम उनके लिए कामना करते हैं ।

माननीय मंत्री जी, वैसे तो 28 मार्च, 2020 से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 28 मार्च, 2020 में आप पी.एम. केयर्स फण्ड लेकर आए । उसके बाद सबमें 'कट' लगने लग गया । जो-जो स्कीम्स सी.एस.आर. में चल रही थीं, आप उनकी हाई लेवल कमेटी रिपोर्ट्स देखें ।

चाहे वर्ष 2015 की बात करें या वर्ष 2019 की बात करें, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स हैं, उनमें कोई भी पैसा सीएसआर का नहीं जाएगा । जो भी स्कीम्स बनी हैं, आप उनके बारे में सोचिए कि अब उनका क्या होगा । आपके फाइनेंस का इतना दिवालियापन है, सीआरएस का पैसा गरीबों के लिए है, उनकी पढ़ाई के लिए है और उनके सैनिटेशन के लिए है । वहाँ थोड़ा-थोड़ा पैसा खर्च करना है । उनके लिए जो प्लान्स बने हुए थे, उनका क्या होगा? आगे उनका जो प्लान बनना था, उसका भी क्या होगा? अब गरीबों के लिए सीआरएस का जो पैसा है, वह पीएम केयर्स फंड में डाल दिया गया ।

महोदय, यहाँ से पता चलता है कि अभी सरकार की हालत क्या है । आप गरीबों का पैसा भी पीएम केयर्स फंड में डाल देते हैं । आप चीफ मिनिस्टर को एलाऊ नहीं करते हैं । वहाँ सीआरएस...(व्यवधान) फंड नहीं जा सकता है । यह पैसा पीएम केयर्स फंड में क्यों जाए? हमारे मंत्री जी कृपया इसका सियासी उत्तर न दें, क्योंकि वह काफी सियासी उत्तर दे देते हैं । आज मैं आशा करता हूँ कि वह जरूर इस विषय के ऊपर एक मंत्री के रूप में बात करेंगे ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर, मैंने न आज से पहले कभी माननीय सांसद को निराश किया है और न ही अब करने वाला हूँ । पहली बात मैं यह कह दूँ कि यह सीआरएस नहीं है, बल्कि यह सीएसआर है- कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सबिलिटी । इसको कौन तय करता है; यह कंपनी का मुनाफा और टर्न ओवर पर तय होता है । उसका कुल 2 प्रतिशत खर्च करना होता है । यह बोर्ड ड्रिवन प्रोसेस है । कंपनी का बोर्ड तय करता है कि किन-किन क्षेत्रों में वह पैसा खर्च करना चाहता है । अपनी वेबसाइट पर वे सारी जानकारी डालते हैं । यहाँ तक कंपनी को यह भी अधिकार है कि वे किस फंड के लिए प्रोजेक्ट करेंगे ।

मैं एक बात सदन के सामने बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि तीन ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ पर अधिकतर पैसे खर्च किये जाते हैं । वह सबसे बड़ा क्षेत्र शिक्षा का है, जहाँ पर 24, 231 करोड़ रुपये अब तक खर्च किए गए । स्वास्थ्य के क्षेत्र में 13,384 करोड़ रुपये खर्च किए गए । रूरल डेवलपमेंट

प्रोजेक्ट में 8,750 करोड़ रुपये खर्च किए गए । इसी तरह से लाइवलीहुड एन्हैन्स्मेन्ट प्रोजेक्ट है, ताकि आपको रोजगार तथा स्वरोजगार का अवसर मिल सके । उसके ऊपर लगभग 3,261 करोड़ रुपये खर्च किए गए । यह पैसा देश के अलग-अलग भागों में खर्च किया गया ।

यह बात सही है कि जहाँ पर खनन ज्यादा है, फैक्ट्री ज्यादा है, उन राज्यों में थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च हुए होंगे । जहाँ इंडस्ट्रीज़ कम हैं, कॉरपोरेट हाउसेज़ के अपने ऑफिसेज़ कम हैं, वहाँ पर थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद लगातार खर्चा बढ़ा है । अब तक कुल मिलाकर 79,292 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं । ये कितने वर्षों में हुए हैं, वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2020-21 तक खर्च हुए हैं ।

जहाँ तक माननीय सांसद ने कहा कि आप सरकारी योजनाओं पर पैसा खर्च करें । मैं एक बात को बड़ा स्पष्ट कर दूँ । शेड्यूल 7 में लिखा गया है कि किन-किन चीजों के लिए पैसा खर्च किया जा सकता है । ये जितने भी पैसे अभी तक खर्च हुए, ये गैर सरकारी क्षेत्र में ही खर्च हुए हैं । आप सब लोग इसको भली भाँति जानते हैं । अगर आप इसको घुमा-फिराकर किसी पर डालने का प्रयास करेंगे तो मैं इस पर एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ । अगर क्लीन गंगा प्रोग्राम है या कोविड से लड़ने के लिए राज्यों को मदद करने की बात है, उस कोविड की लड़ाई में देश के लोगों ने आगे बढ़-चढ़ कर अपना योगदान दिया । न केवल सीएसआर फंड से, बल्कि जिन लोगों की अपनी कोई जमा पूंजी भी थी, कई लोग तो ऐसे थे, जिनके पास शायद चाय बेच कर या दिहाड़ी लगाकर एक हजार, दो हजार, पाँच हजार रुपये भी इकट्ठे हुए, ऐसी सैकड़ों स्टोरिज देशभर में छपीं कि देश के लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन उसके लिए दिया कि हम कोविड के खिलाफ लड़ेंगे ।

माननीय सांसदों ने भी अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा इसके लिए दिया, ताकि हम महामारी के सामने लड़ सकें । वे यहीं नहीं रूकें, मैं सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, चाहे एमपीलैड फंड हो,

अपनी सैलरी की बात हो, आपका यह कंट्रीब्यूशन व्यर्थ नही गया है । दुनिया भर के देशों में अगर देखा जाए कि सबसे कम मृत्यु-दर जिन देशों में हैं और लड़ाई लड़ने में जो सफल हुए हैं, उन देशों में यदि किसी का नाम है तो हमारे भारत का आता है । इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं राज्यों की सरकारों को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ ।

इसमें एक और बात आई कि सरकारी योजनाओं की क्या स्थिति है । इस बार के बजट में भी आप देखेंगे, पानी किसको चाहिए, पानी हर घर को चाहिए । हर घर को नल से स्वच्छ जल देने के लिए हमने इस साल के बजट में भी 50,110 करोड़ रुपये दिए ।

हमें उसमें सीएसआर फंड की आवश्यकता नहीं थी । स्वास्थ्य के क्षेत्र में 94,452 करोड़ रुपये का पिछले साल का बजट था । माननीय मंत्री जी ने इसे 2,23,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ाकर इस साल किया और 137 पर्सेंट की वृद्धि स्वास्थ्य के क्षेत्र में की । हम सीएसआर फंड से केंद्र की योजनाओं को चलाने का काम नहीं करते हैं । यह केवल निराधार आरोप है, जिसको मैं सिरे से खारिज करता हूं । अगर शेड्यूल 7 में कुछ ऐसी आइटम्स दी गई हैं, जिससे समाज की भलाई होती है और उससे अगर किसी सरकारी योजना को आगे चलकर कोई फायदा होता है, तो वह अलग बात है । उसको इसमें मेंशन किया गया है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार के दूसरे फंड को इससे लिया जा रहा है ।

माननीय सभापति : प्रश्न संख्या 366

श्री खगेन मुर्मू - उपस्थित नहीं ।

माननीय सभापति : श्री रितेश पाण्डेय ।

(Q. 366)

श्री रितेश पाण्डेय: आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । यह सच है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में एक अपनी रिपोर्ट निकाली है, आईडब्ल्यूजी जो एक बॉडी है, उसने एक रिपोर्ट निकाली है । इसके अंतर्गत जो प्राइवेट प्रतिष्ठान हैं, उनको भी बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कहा गया है । यह किसी बम से कम नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे कॉरपोरेट घरानों को, बैंकिंग में मंजूरी देने का जो यह प्रस्ताव है, क्या सरकार उसे मंजूर करने पर विचार कर रही है? यह मेरा पहला प्रश्न है ।

दूसरा, अगर इन प्रतिष्ठानों को मंजूरी मिल जाती है, तो क्या यह कहीं न कहीं समझदारी का कदम होगा कि जिनके साथ हितों का टकराव हो, उनको हम बैंकिंग क्षेत्र में लाकर गरीबों के साथ अन्याय करने जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट प्रतिष्ठान गरीबों का पैसा लेकर अपने ही बिजनेसेज़ में लगा देंगे? हमारे देश में वैसे ही एनपीएज़ बढ़ते चले जा रहे हैं । जब प्राइवेट संस्थान आकर खुद पैसा मार्केट से उठाकर, लोगों का पैसा अपने धंधे में लगाकर उसको गंवा देने का काम करेंगे, तो यह उचित नहीं होगा । क्या सरकार इस प्रस्ताव को मानने पर विचार कर रही है और क्या इसको स्वीकार करने पर विचार करके, बैंकिंग क्षेत्र में कॉरपोरेट घरानों को अनुमति देने के बारे में सोच रही है?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय सभापति जी, अगर माननीय सांसद महोदय प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, यह प्रश्न आपका नहीं है, लेकिन आपने सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा है, इसलिए आपको और ध्यान से पढ़ना चाहिए था । यह प्रश्न एनबीएफसीज़ पर है । ...(व्यवधान) आप थोड़ा ध्यान से सुनिये । इससे थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा । बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ दोनों अलग-अलग हैं । मैं चाहूं तो इस प्रश्न का उत्तर न भी दूं, क्योंकि यह इससे संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी, क्योंकि प्रश्न पूछा है तो मैं इसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा ।

सर, इंटरनल ग्रुप्स की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, सुझाव आते हैं । उस पर अंतिम निर्णय आरबीआई क्या करता है, उस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी । ऐसा नहीं है कि आज के समय में प्राइवेट क्षेत्र में भारत में कोई बैंक नहीं चल रहा है । अगर आप एचडीएफसी जैसे बैंक्स को देखेंगे, आईसीआईसीआई को देखेंगे, एक्सिस बैंक और बाकी सबको देखेंगे, तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट सैक्टर का ही इनवेस्टमेंट है और उसमें बहुत सारा इनवेस्टमेंट तो विदेशी कंपनियों का भी है । पहली बात तो आरबीआई ने उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है और दूसरा यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि अगर कोई कॉरपोरेट आएगा, बैंक खोलेगा, तो उस पैसे को अपने यहां पर ही लगा लेगा । सर, जब राष्ट्रीय बैंक आए थे, उसके पहले बैंक कौन चलाता था, किन लोगों ने पूंजी लगाई थी और वे कौन थे? आजादी के पहले की भी अगर आप बात करेंगे और आजादी के बाद की बात भी करेंगे, तो वही सब आपको देखने को मिलेगा । जिस रिपोर्ट की आप बात करते हैं, उस पर आरबीआई ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है, इसलिए उस पर आप चिंतित न हों । आरबीआई इस पर निर्णय करेगा । 138 करोड़ भारतीयों को अच्छी बैंकिंग सुविधा चाहिए, ज्यादा बैंक्स चाहिए । अच्छी बैंकिंग की कंपटीटिव सर्विसेज़ अगर प्राइवेट, पब्लिक सभी में होगी, तो इससे सबसे ज्यादा लाभ देश के उपभोक्ताओं को मिलेगा । आप और हम सब लोग उपभोक्ताओं के ही हित में कदम उठाने के लिए यहां चुनकर आते हैं । हमारी सरकार हो या आरबीआई हो, सारे कदम कंज्यूमर के हित में ही उठाये जायेंगे ।

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 367 to 380)

Unstarred Question Nos. 4141 to 4370)

(Page No. 56-591)

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE